

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—62/2013 (2013/00096) वाद पत्र

अनवान

1. दयाराम पिता चतर्भुज उर्फ चतरा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1. भैरू पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजु पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रूपलाल पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 179, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. सुनिल बापना —
2. फारूख मोहम्मद —



वादी अधिवक्ता

प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक:—30.11.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी की साबिक आराजी नं० 175/3 मीन रकबा 8 बीघा दिनांक 16.12.1972 को गैर खातेदारी अधिकार से जमाबंदी संवत 2038 से 2041 से वादी के नाम पर दर्ज हुई, तथा बाद में वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए, जिसके हाल आराजी नं० 1479 रकबा 0.45 व आराजी संख्या 1482 रकबा 1.28 अंकित हुए प्रमाण में जमाबंदी संवत 2038 से 2041 की प्रमाणित प्रति व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है। वादी की उक्त आराजी संख्या 1479 रकबा 0.45 व आराजी संख्या 1482 रकबा 1.28 है० पर दिनांक 02/08/2009 को प्रतिवादीगण ने अनाधिकृत रूप से आधिपत्य कर लिया। इस पर वादी ने अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढ़ी बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू-राजस्व अधिनियम दिनांक 03/09/2009 को पेश किया जो दिनांक 08/04/2010 को स्वीकार हुआ। इस आदेश की क्रियान्विती में भू अभिलेख निरीक्षक ने बसामलात ग्राम के मौतबिरान को साथ लेकर प्रतिवादीगण की उपस्थिति में जमीन को नापकर पत्थर लगवाये गये, जिसे प्रतिवादीगण ने हटा दिये और वादी की जमीन पर से अपना आधिपत्य नहीं हटाया गया जबकि प्रतिवादीगण को वादी की भूमि में अनाधिकृत प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रमाण में मौका पर्चा दिनांक 28.05.2013 की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अतः सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण वादी के खातेदारी अधिकार की आराजियात नम्बर 1479 रकबा 0.45 है० व आराजी संख्या 1482 रकबा 1.28 है० ग्राम मोखमपुरा पटवार सर्कल थला तहसील रायपुर से प्रतिवादीगणों को बेदखल कराया जाकर वादी के पक्ष में कब्जेयापी की डिक्री सादिर फरमाई जावे, साथ ही बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण फसल लाभ व हर्जे की राशि 20000/- रूपये सालाना से कब्जा मिलने तक वादी को प्रतिवादीगण से दिला पाने की डिक्री सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किया गया। समन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2  से जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3  सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।



प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अपने जवाब में अकिंत किया कि वादी की आराजियात पर प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकृत कब्जा नहीं किया गया है। प्रतिवादी वक्त आवंटन दिनांक 06.12.1972 से ही काबिज चला आ रहा हैं। वादी आवंटन शुदा भूमि पर काबिज है नवीन भू प्रबन्ध के दौरान नक्शे में तफावत की स्थिति कायम की गई है और साबिक नक्शे अनुसार तरमीम नहीं किया गया है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि वादी को दिनांक 06.12.1972 को साबिक आराजी संख्या 175/3 रकबा 8 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसके नवीन खसरा नम्बर 1479 एवं 1482 कायम किये इसी प्रकार प्रतिवादी को आवंटित सभी आराजी संख्या 176/1 रकबा 5 बीघा व 176/2 आवंटित हुई। वादी एवं प्रतिवादी आवंटन के समय से ही अपने अपने आवंटित रकबे पर काबिज चले आ रहे हैं वादी की साबिक आराजी संख्या 175/3 व प्रतिवादी की आराजी संख्या 176 का नवीन नक्शे में गलत तरमीम किया गया है। मौका स्थिति के विपरीत तरमीम की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बैरून मियाद है प्रतिवादीगणो ने कोई अनाधिकृत रूप से आधिपत्य नहीं किया। वादी द्वारा नवीन नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी करवाई गई लेकिन नवीन नक्शा साबिक नक्शे अनुसार नहीं होने से विवाद बढ़ा है। वाद निरस्त फरमाया जावे।

वाद और प्रतिवाद के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम मौखमपुरा की आराजी संख्या 1479 रकबा 0.45 है० व 1482 रकबा 1.28 है० पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करा वादी के कब्जे कराने की डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादी
2. आया वादी दावा दायरी से आराजियात का कब्जा प्राप्त करने तक सालाना 20000/-रूपये फसल लाभ व घास हर्जे की राशि प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है। जिम्मे वादी
3. आया मजीद कथन की कलम संख्या 9 व 10 के आधार पर वाद वादी खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण
4. आया वाद पत्र वादी अवधि बाधित होकर उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारीज होने योग्य है। जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकीवार निर्णय

1. आया ग्राम मौखमपुरा की आराजी संख्या 1479 रकबा 0.45 है० व 1482 रकबा 1.28 है० पर से प्रतिवादीगण को बेदखल करा वादी के कब्जे कराने की डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था। वादी की ओर से वाद के समर्थन में वादी के नाम साबिक आराजी संख्या 175 में 8 बीघा भूमि आवंटन होने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र आवंटन आदेश एवं कब्जा सिपूदगी और पटवारी मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी, साबिक आराजी संख्या 175, 176 का नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी 2066 से 2069, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी आदेश पत्थरगढ़ी 121/2009 एवं पर्चा मौका आदि रेकार्ड प्रेषित किया गया जो प्रदर्श 1 से 11 है। इसके साथ ही वादी स्वयं एवं भंवरलाल पिता दयाराम के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली है। वादी के द्वारा अपने बयान की जिरह में मुख्य रूप से कहा कि 8 बीघा भूमि 50 वर्ष पहले अलोटमेन्ट हुई अलोटमेन्ट के बाद जिस जगह कब्जा सिपेद किया गया उसी जगह बैठा हुआ था। वादी को आवंटित भूमि के पूर्व की तरफ भाई गोमा की जमीन और पश्चिम की तरफ रायपुर के मुसलमान की जमीन और उत्तर की ओर छोगा गुर्जर की व दक्षिण में दयाराम गुर्जर की जमीन आलोट हुई। खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने पर जिसका पर्चा मौका पत्रावली में पेश किया। इसी प्रकार भंवरलाल के द्वारा



भी अपने बयान में मुख्य रूप से कहा कि वादी को 8 बीघा जमीन आवंटित हुई है मेरे पिता को जो जमीन अलोट हुई जो प्रतिवादी राजु व भैरु के पिता जिनके नम्बर अलग है। राजु व भैरु का वक्त आवंटन से कब्जा नहीं है जबकि 10-12 साल पहले कब्जा कर लिया है। वादी द्वारा इस तनकी को साबित कराया है वादी के नाम भूमि आवंटन हुई है और वादी की जमीन पर प्रतिवादीगणों का कब्जा होना पत्थरगढ़ी के पर्चे मौके से प्रमाणित है। वादी अपनी तनकी साबित कराने में सफल रहा है जिससे उक्त तनकी का निर्णय बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण किया जाता है।

2. आया वादी दावा दायरी से आराजियात का कब्जा काश्त करने तक सालाना 20000/- रूपये फसल लाभ व घास हर्जे की राशि प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

इस तनकी को साबित कराने का भार वादी पर था वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज इसमें पेश नहीं किया गया जिससे विवादित आराजियात से सालाना 20000 रूपये का लाभ वादी द्वारा या प्रतिवादी ले रहा हो। इस तनकी को साबित कराने में वादी असफल रहने से इस तनकी का निर्णय विरुद्ध वादी किया जाता है।

3. आया मजीद कथन की कलम संख्या 9 व 10 के आधार पर वाद वादी खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा मजीद कथन की कॉलम 9 में अंकित किया कि वादी को साबिक आराजी संख्या 175/3 में 8 बीघा भूमि आवंटित हुई जिसके नवीन नम्बर 1479 व 1482 बने इसी प्रकार प्रतिवादी 1 व 2 के पिता दयाराम को भी साबिक आराजी संख्या 176 में भूमि आवंटित हुई जिसके नवीन नम्बर 1486 व 1488 है। सेटलमेन्ट के दौरान नवीन नक्शे में गलत तरमीम किया गया है और मौके की स्थिति साबित नक्शे के अनुरूप नहीं है। वादी की साबिक आराजी संख्या 175 प्रतिवादी की साबिक आराजी संख्या 176 के पश्चिम की ओर फीट थी। प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे ये साबित होता हो कि वादी को साबिक आराजी संख्या 175 में आवंटित भूमि को गलत फीट किया गया हो जबकि इसके विरुद्ध वादी की ओर से जो साबिक एवं नवीन राजस्व नक्शा जो क्रमशः प्रदर्श 5 एवं 8 है उसमें दक्षिण की ओर सरहद पर साबिक आराजी संख्या 175 एवं 176 की मध्य की सीमा पर मिनारे स्थित है मिनारे से पश्चिम की ओर वादी के साबिक आराजी संख्या 175 है एवं मिनारे से पूर्व की तरफ प्रतिवादी की साबिक आराजी संख्या 176 है और नवीन भू प्रबन्ध के दौरान भी साबिक आराजियात के नवीन नम्बर जो कायम किये गये है उनके भी दक्षिणी सीमा पर स्थित आराजी संख्या 1479, 1482, 1483 को पश्चिम की ओर फीट किया गया है और प्रतिवादी की आराजियात को मिनारे के सीद की पूर्व ओर फीट किया गया है जिसमें भू प्रबन्ध विभाग के कोई त्रुटी होना प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादी बहक वादी किया जाता है।

4. आया वाद पत्र वादी अवधि बाधित होकर उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत नहीं किये जाने से खारीज होने योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादी की ओर वाद अवधि बाधित होने सम्बन्धी ऐसी कोई खास दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जबकि वादी की ओर से पत्थरगढ़ी मौका पर्चा दिनांक 28.05.2013 को बनाया गया और उसके बाद वादी की ओर से निर्धारित समयावधि में ही दिनांक 20.06.2013 को वाद प्रस्तुत किया गया जो वाद अवधि बाधित



नही है इन तनकी को साबित कराने में प्रतिवादीगण असफल रहे है जिससे इस तनकी का निर्णय विरुद्ध प्रतिवादीगण बहक वादी किया जाता है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं साक्ष्य का अवलोकन करने से पाया कि वादी अपने वाद को साबित करने में सफल रहा है। प्रतिवादी के नाम जो दर्ज आराजियात है वो राजस्व नक्शे में तरमीम है। प्रतिवादी को अगर अपनी आराजियात की मौका स्थिति की जानकारी में किसी प्रकार का कोई सदेह है तो प्रतिवादी अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने में सक्षम है कभी भी पत्थरगढ़ी करा अपनी आराजियात की जानकारी कर सकता है। वादी की आराजियात की पत्थरगढ़ी के दौरान दिनांक 28.05.2013 को तैयार किये गये पर्चे मौके के अनुसार वादी की आराजियात पर प्रतिवादी का कब्जा होना पाया गया है जबकि आराजियात वादी को आवटित होकर खातेदारी भूमि है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जाने बाबत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 179, 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार कर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आवादी में स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 1479 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1482 रकबा 1.28 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.73 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में दखल नही करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



30.11.2021
सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक-कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—62/2013 (2013/00096) वाद पत्र

अनवान

1. दयाराम पिता चतर्भुज उर्फ चतरा गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
वादी

बनाम

1. भैरू पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजु पिता दयाराम गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रूपलाल पिता गोपीलाल गुर्जर निवासी मोखमपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 179 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रुबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 179, 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार कर बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के इस आशय का आदेश जारी किया जाता है कि ग्राम सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 1479 रकबा 0.45 है0, आराजी संख्या 1482 रकबा 1.28 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.73 है0 भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे एवं प्रतिवादीगण वादी के कब्जे में दखल नही करे।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




30.11.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा